



बीज सहकारी समिति

संदर्भ: सहकारिता मंत्री ने लोकसभा को बीज सहकारी समितियों के गठन के बारे में जानकारी दी

गठन और उद्देश्य:

- सहकारिता मंत्रालय; बहु-राज्य सहकारी सोसायटी (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 के तहत भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल) की स्थापना करता है।
- बीबीएसएसएल स्वदेशी प्राकृतिक बीजों के संरक्षण और उसके उपयोग पर जोर देते हुए फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए सहकारी नेटवर्क के माध्यम से बीज उत्पादन, खरीद और वितरण पर ध्यान केंद्रित करता है।

सदस्यता की श्रेणियां:

➤ **साधारण सदस्य:**

- योग्य संस्थाओं में बहु-राज्य सहकारी समितियाँ, सहकारी समितियाँ, एनसीडीसी, सरकार-नियंत्रित निगम और केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा अनुमति प्राप्त सदस्य शामिल हैं।
- इसमें व्यक्तिगत सदस्यता की अनुमति नहीं है।

➤ **विभिन्न वर्गों के आधार पर शेयर पूंजी की सदस्यता:**

- **श्रेणी-1:** इसमें इफको, कृभको, नेफेड, एनसीडीसी और एनडीडीबी जैसे सहकारी संगठन प्रत्येक ₹1,000 के कम से कम 5,00,000 शेयर खरीदते हैं।
- **श्रेणी-2:** राज्य-स्तरीय सहकारी समिति, वर्ग-1 को छोड़कर, इसमें प्रत्येक ₹1,000 के कम से कम 1000 शेयरों की सदस्यता लेती है।
- **श्रेणी-3:** इस श्रेणी में राष्ट्रीय सहकारी समिति और बहु-राज्य सहकारी समिति (राष्ट्रीय के रूप में नामित नहीं) प्रत्येक सदस्य ₹1,000 के कम से कम 500 शेयर खरीदती हैं।
- **श्रेणी-4:** इस श्रेणी में सहकारी समिति (राज्य-स्तरीय या प्राथमिक नहीं) ₹1,000 प्रत्येक के कम से कम 10 शेयर खरीदती है।
- **श्रेणी-5:** प्राथमिक स्तर की सहकारी समिति इस श्रेणी में ₹1,000 का एक शेयर प्राप्त करती है।
- **श्रेणी-6:** खंड 7(1) (डी) के तहत अनुमति प्राप्त व्यक्ति या संघ इस श्रेणी में 1,000 रुपये के कम से कम 2 शेयर खरीदकर सदस्य बनते हैं।
- एक बार में पूर्ण भुगतान किए गए शेयरों का मूल्य और पूरी राशि की वसूली हो जाने पर ही शेयर प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।

➤ **नाममात्र या सहयोगी सदस्य:**

- इस हेतु प्रवेश ₹1,00,000 की गैर-वापसी योग्य शुल्क के आधार पर दिया जाता है।
- सरकारी कंपनियों को छोड़कर, कंपनी अधिनियम/निर्माता कंपनी अधिनियम के तहत इसकी सदस्यता अन्य सभी कंपनियों के लिए खुला है।

➤ **सदस्यता आवेदन:**

- बीबीएसएसएल को 27 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से 8,200 सदस्यता आवेदन प्राप्त हुए हैं।

➤ **निगरानी और मूल्यांकन तंत्र:**

• **वार्षिक आम बैठक (एजीएम):**

- ✓ एजीएम फंड के उपयोग की जांच करता है, वार्षिक रिपोर्ट की समीक्षा करता है और सहायक संस्थानों के प्रदर्शन का आकलन करता है।

• **अंकेक्षण:**

- ✓ प्रत्येक एजीएम के दौरान एमएससीएस अधिनियम, 2002 प्रावधानों के अनुसार लेखा परीक्षकों की नियुक्ति कि जाती है।
- ✓ केंद्र सरकार किसी भी समय विशेष ऑडिट का आदेश दे सकती है।
- ✓ आवश्यक कार्रवाई के लिए संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

बहु-राज्य सहकारी सोसायटी (एमएससीएस) अधिनियम, 2002

➤ **एमएससीएस अधिनियम (2002) की पृष्ठभूमि:**

- 2002 के एमएससीएस अधिनियम ने सहकारी समितियों से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करते हुए, 1984 के बहु राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम को प्रतिस्थापित कर दिया।

➤ **एमएससीएस अधिनियम (2002) का उद्देश्य:**

- इसे एक से अधिक राज्यों में विस्तृत सहकारी समितियों के निगमन, कामकाज और संगठन को सुविधाजनक बनाने के लिए 2002 में अधिनियमित किया गया।
- इसका उद्देश्य स्व-सहायता और पारस्परिक सहायता के आधार पर सदस्य-संचालित बहु राज्य सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन और उचित संचालन सुनिश्चित करना है।

➤ **2022 में संशोधन:**

- बहु-राज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2022, 7 दिसंबर, 2022 को लोकसभा में पेश किया गया, जो एमएससीएस अधिनियम 2002 में बदलाव का प्रस्ताव करता है।
- **नई परिभाषा:** "मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी" इस अधिनियम के तहत पंजीकृत एक सोसायटी को संदर्भित करती है, जिसमें एक राष्ट्रीय सहकारी सोसायटी और एक संघीय सहकारी समिति (federal cooperative) शामिल है।

➤ **उद्देश्य:**

- यह विभिन्न राज्यों में सदस्यों के हित और कल्याण के लिए काम करता है।

Face to Face Centres





6 December, 2023

- यह स्वयं सहायता और पारस्परिक सहायता के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक बेहदरी पर ध्यान केंद्रित करता है।
- यह सदस्यों, कर्मचारियों और निदेशकों के लिए सहकारी शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करता है।

➤ **पात्रता:**

- यद्यपि किसी सोसायटी के लिए एक से अधिक राज्यों में शाखाएँ रखना अनिवार्य नहीं है; तथापि एक से अधिक राज्यों में सेवारत सदस्य इसे "बहु राज्य सहकारी समिति" के रूप में परिभाषित करते हैं।

➤ **वोट देने का अधिकार:**

- शेरों की सदस्यता लेने वाले प्रत्येक सदस्य को वोट देने का अधिकार है।

➤ **एमएससीएस में रूपांतरण:**

- एक सहकारी समिति केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकृत अपने उपनियमों में संशोधन के माध्यम से एमएससीएस में परिवर्तित होकर अपने अधिकार क्षेत्र का विस्तार कर सकती है।

जीपीएस और इसकी कार्यप्रणाली

संदर्भ: आज की बदलती अत्याधुनिक तकनीक ने उस ज्ञान-कौशल को समझने की आवश्यकता अनिवार्य कर दी है जिसका उपयोग विभिन्न उपकरणों द्वारा स्थान प्रबंधन के लिए किया जाता है।

जीपीएस कार्यक्रम की शुरुआत और विकास:

- वर्ष 1973 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा शुरू किया गया; इससे सम्बंधित पहला उपग्रह 1978 में प्रक्षेपित किया गया था।
- इस समय अन्तरिक्ष में छह अलग-अलग कक्षाओं में पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले 24 उपग्रह शामिल हैं।
- जीपीएस कार्यप्रणाली को तीन खंडों में विभाजित किया गया है: स्थान, नियंत्रण और उपयोग।

जीपीएस का कार्य:

1. **स्थान (अंतरिक्ष):**

- इसमें पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में 31 उपग्रहों का एक समूह शामिल है।
- ये सभी उपग्रह पृथ्वी से 20,000 किलोमीटर ऊपर स्थित हैं।
- प्रत्येक उपग्रह लगातार प्रीसेट रिसेवर्स को माइक्रोवेव सिग्नल भेजता है।
- उपग्रहों में सिंक्रनाइजेशन के लिए अंतर्निहित परमाणु घड़ियाँ होती हैं।

2. **नियंत्रण (ग्राउंड खंड):**


- उपग्रहों की उचित कार्यक्षमता का प्रबंधन और सुनिश्चित करना।
- इसमें मास्टर कंट्रोल स्टेशन, बैकअप मास्टर कंट्रोल स्टेशन, कमांड एंटेना, कंट्रोल एंटेना और मॉनिटरिंग साइट शामिल हैं।
- **मुख्य कार्य:** उपग्रह गतिविधियों पर नजर रखना, विश्लेषण, प्रसारण की निगरानी और उपग्रहों के साथ संचार स्थापित करना।

3. **रिसीवर/उपयोगकर्ता खंड:**

- स्मार्टफोन, ट्रैकर्स और विभिन्न उपकरणों में एंबेडेड।
- परिवहन, विमानन, सैन्य, ऑटोमोबाइल और IoT जैसे उद्योगों के लिए आवश्यक।
- **घटक:** एंटीना और प्रोसेसर उपग्रह संकेतों के अनुरूप।
- यह जानकारी को डिकोड करने और व्याख्या करने के लिए त्रिपत्रीकरण प्रणाली का उपयोग करता है।
- किसी भी सटीक स्थिति निर्धारण के लिए कम से कम तीन उपग्रहों की दृष्टि रेखा की आवश्यकता होती है।
- इसके सिग्नल में एन्क्रिप्टेड स्थान और ट्रांसमिशन समय शामिल होते हैं।
- गणितीय समीकरण दूरियाँ निर्धारित करते हैं और अक्षांश और देशांतर निर्देशांक के माध्यम से स्थान निर्धारित करते हैं।

4. **जीपीएस में रिसीवर ऑपरेशन:**

- सटीक कार्यप्रणाली के लिए कम से कम तीन उपग्रहों की दृष्टि रेखा की आवश्यकता होती है।
- उपग्रहों से प्राप्त संकेतों में स्थान और प्रसारण समय शामिल होता है।
- ट्रिलैटरेशन के लिए सिग्नल रिसेप्शन में समय के अंतर का उपयोग करता है।
- गणितीय समीकरण; उपग्रहों और रिसीवर के बीच की दूरी की गणना करते हैं।
- अक्षांश और देशांतर निर्देशांक के माध्यम से स्थान निर्धारित किया जाता है।
- सटीकता के सत्यापन में अक्सर चौथे उपग्रह से सिग्नल शामिल होते हैं, जिससे परमाणु घड़ी की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।



Face to Face Centres





जीपीएस परिचालन तंत्र:

- अन्तरिक्ष में उपग्रह लगातार L1 और L2 आवृत्तियों पर रेडियो सिग्नल प्रसारित करते हैं।
- उपग्रह द्वारा एक साथ प्रसारण के लिए कोड-डिवीजन मल्टीपल एक्सेस के साथ सिग्नल एन्कोड किए जाते हैं।
- रिसेीवर कम से कम चार उपग्रहों से प्राप्त संकेतों के आधार पर सटीक स्थान की गणना करते हैं।

टाइमकीपिंग परिशुद्धता और सापेक्षता:

- परमाणु घड़ियों से सुसज्जित उपग्रह 10 नैनोसेकंड के भीतर सिंक्रनाइज़ हो जाते हैं।
- विशेष और सामान्य सापेक्षता दोनों को ध्यान में रखते हुए, इसे गुरुत्वाकर्षण क्षमता और सापेक्ष वेगों के लिए समायोजित किया गया है।
- सटीक टाइमकीपिंग महत्वपूर्ण; समायोजन के बिना, घड़ी ऑफसेट के कारण एक दिन में 10 किमी तक की त्रुटियां।

ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) सहयोग:

- ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपीय संघ, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस और यूके सहित दुनिया भर के सभी देश जीएनएसएस प्रणालियों के साथ सहयोग स्थापित कर रहे हैं।
- तकनीकी अनुकूलता सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका और अन्य देशों के अधिकारियों के बीच नियमित बैठकें होती रहती हैं।
- संयुक्त राष्ट्र के तहत जीएनएसएस पर अंतर्राष्ट्रीय समिति स्वैच्छिक सहयोग की सुविधा प्रदान करती है।

भारतीय नेविगेशन सिस्टम:

- भारत की NavIC प्रणाली में क्षेत्रीय नेविगेशन के लिए सात उपग्रह शामिल हैं।
- देश की नागरिक उड्डयन सुरक्षा के लिए जीपीएस-एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन (GAGAN) प्रणाली का संचालन किया जा रहा है।
- GAGAN रूबिडियम परमाणु घड़ियों का उपयोग करता है और कई आवृत्ति बैंडों में डेटा प्रसारित करता है।
- इस हेतु मास्टर नियंत्रण सुविधाएं हसन, कर्नाटक और भोपाल, मध्य प्रदेश में स्थित हैं।

सामाजिक विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र आयोग

संदर्भ: भारत की संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने फरवरी 2024 में आगामी 62वें संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के लिए सदस्य-राज्य ब्रीफिंग (member-state briefing) का नेतृत्व किया।

- भारत ने 1975 के बाद पहली बार सामाजिक विकास आयोग की अध्यक्षता की है।
- सामाजिक विकास आयोग (CSocD) की स्थापना 16 फरवरी 1946 को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) द्वारा एक कार्यात्मक आयोग के रूप में की गई थी।
- यह एक अंतरसरकारी संगठन, नियामक निकाय और सलाहकार बोर्ड के रूप में कार्य करता है।
- वर्तमान में, यह एक सक्रिय कानूनी स्थिति बनाए हुए है।
- CSocD का मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है।
- यह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) के अधीन संचालित होता है।
- इसकी सदस्यता में ECOSOC द्वारा चुने गए 46 सदस्य शामिल होते हैं।
- वर्ष 1995 में कोपेनहेगन में सामाजिक विकास के लिए विश्व शिखर सम्मेलन के बाद से, CSocD; कोपेनहेगन घोषणा और कार्रवाई कार्यक्रम के अनुवर्ती कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार और संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख निकाय रहा है।
- इससे सम्बंधित वार्षिक बैठकें न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आम तौर पर फरवरी में आयोजित की जाती हैं, जो लगभग दो सप्ताह तक चलती हैं।
- वर्ष 2020 में, आयोग द्वारा सामाजिक विकास पर कोपेनहेगन घोषणा की 25वीं वर्षगांठ और आयोग की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई।
- वर्ष 1995 से प्रत्येक वर्ष, CSocD प्रमुख सामाजिक विकास विषयों को संबोधित करता है; उदाहरण के लिए, 2020 का ध्यान "बेघरों की समस्या से निपटने के लिए सभी के लिए किराया आवास और सामाजिक सुरक्षा प्रणाली" पर केन्द्रित था।
- 62वें सत्र का विषय "2030 एजेंडा के लिए सामाजिक नीतियों के माध्यम से सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना" है।
- सामाजिक विकास, सामाजिक न्याय और सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के बीच महत्वपूर्ण संबंध पर जोर दिया गया है।

जिम्मेदारियाँ और उद्देश्य:

- CSocD; कोपेनहेगन घोषणा और कार्यक्रम से संबंधित मुद्दों की समीक्षा के लिए जिम्मेदार है।
- यह महासभा के चौबीसवें विशेष सत्र के परिणाम की समीक्षा करता है।
- इसे वर्ष 1946 में सामाजिक आयोग के रूप में स्थापित किया गया, जिसे बाद में वर्ष 1966 में इसका नाम बदलकर CSocD कर दिया गया।
- यह वर्ष 1995 से, कोपेनहेगन घोषणा और कार्रवाई कार्यक्रम के अनुवर्ती और कार्यान्वयन के लिए प्रमुख संयुक्त राष्ट्र निकाय है।

ECOSOC Subsidiary bodies	
Functional Commissions	
Commission for Social Development (CSocD)	
Statistical Commission	
Commission on the Status of Women (CSW)	
Commission on Narcotic Drugs (CND)	
Commission on Population and Development (CPD)	
United Nations Forum on Forests (UNFF)	
Commission on Science and Technology for Development (CSTD)	
Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ)	





6 December, 2023

- यह सामान्य चरित्र की सामाजिक नीतियों और विशेष अंतर-सरकारी एजेंसियों द्वारा कवर नहीं किए गए मामलों पर ईसीओएसओसी को सलाह देता है।
- वर्ष 2006 के बाद से इसे, कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन के नतीजों की अनुवर्ती कार्रवाई के हिस्से के रूप में प्रमुख सामाजिक विकास विषयों को संबोधित किया गया है।

बैठकें और सदस्यता:

- यह न्यूयॉर्क में वार्षिक बैठकें (आमतौर पर फरवरी में) आयोजित करता है।
- इसमें मूल रूप से 18 सदस्य शामिल थे; विभिन्न विस्तारों के माध्यम से यह बढ़कर 46 हो गया।
- इसमें ईसीओएसओसी द्वारा चार साल के कार्यकाल के लिए चुने गए सदस्य शामिल होते हैं।
- ईसीओएसओसी निर्णय 2002/210 के अनुसार, शर्तें अब आयोग के नियमित सत्र के तुरंत बाद शुरू होती हैं।

ब्यूरो:

- इस ब्यूरो में एक अध्यक्ष और चार उपाध्यक्ष शामिल होते हैं।
- ब्यूरो के सदस्यों का चुनाव आयोग द्वारा नियमित सत्र की पहली बैठक में किया जाता है, जो एक नए ब्यूरो के चुनाव के एकमात्र उद्देश्य के लिए नियमित सत्र की समाप्ति के तुरंत बाद बुलाई जाती है।

NEWS IN BETWEEN THE LINES

68 वां महापरिनिर्वाण दिवस



आज 6 दिसंबर को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की।
महापरिनिर्वाण दिवस के बारे में:

- बौद्ध धर्म में, परिनिर्वाण का अर्थ है मृत्यु के बाद मुक्ति, जैसे परम शांति या मोक्ष प्राप्त करना।
- महापरिनिर्वाण दिवस भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर की पुण्यतिथि (6 दिसंबर, 1956) है।
- 6 दिसंबर, डॉ. भीमराव आंबेडकर और समाज के प्रति उनके महत्वपूर्ण योगदान को सम्मानित करने के लिए समर्पित है।

डॉ. भीमराव आंबेडकर के बारे में:

- डॉ. भीमराव आंबेडकर का जन्म 1891 में मऊ, मध्य प्रांत (अब मध्य प्रदेश) में हुआ था।
- ये एक समाज सुधारक, न्यायविद, अर्थशास्त्री, बहुभाषी, विद्वान, विचारक और ओजस्वी वक्ता थे।

योगदान:

- वे भारत के पहले कानून मंत्री और संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे।
- उन्होंने दलितों और हाशिए के वर्गों के अधिकारों की वकालत की।
- उन्होंने महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किया और 1932 में महात्मा गांधी के साथ पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए, इस समझौते के तहत, सांप्रदायिक अधिनिर्णय (कॉम्युनल एवार्ड) के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था के तहत स्थान आरक्षित रखने पर सहमति बनी।
- उन्होंने "एनिहिलेशन ऑफ कास्ट" और "बुद्ध एंड हिज धम्म" सहित महत्वपूर्ण पत्रिकाओं और पुस्तकों की रचना की।
- उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा, स्वतंत्र लेबर पार्टी और अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की।

पुरस्कार और सम्मान:

- उन्हें 1990 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
- मुंबई में चैत्य भूमी डॉ. भीमराव आंबेडकर की समाधि स्थल है।

नैतिक मूल्य: ईमानदारी, निष्ठा, समर्पण, करुणा, सहनशीलता आदि।

राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन



हाल ही में, राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (नेशनल ऑर्गन एंड टिशू ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइजेशन -NOTTO) ने इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के खिलाफ कथित कैश फॉर किडनी घोटाले के आरोपों पर जांच शुरू की है।

NOTTO के बारे में:

- राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO) अंगों और ऊतकों की खरीद और वितरण के लिए समन्वय और नेटवर्किंग का एक केंद्र है।
- इसे 2014 में गठित किया गया था।
- यह भारत में अंग और ऊतक दान और प्रत्यारोपण का भी पंजीकरण करता है।
- इसका मुख्य उद्देश्य मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को भरना और विभिन्न ऊतकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है।
- यह सभी संबंधित संगठनों, अस्पतालों और व्यक्तियों को सूचना का प्रसारण करता है।
- इसमें दो डिवीजन शामिल हैं: नेशनल ह्यूमन ऑर्गन एंड टिशू रिमूवल एंड स्टोरेज नेटवर्क और नेशनल बायोमेटेरियल सेंटर।

Face to Face Centres





6 December, 2023

अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य



हाल ही में COP28 शिखर सम्मेलन में, विकासशील देशों ने कथित अपर्याप्तता के कारण अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य (GGA) के मसौदे का विरोध किया।
अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य के बारे में:

- अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य (GGA) पेरिस समझौते के तहत जलवायु परिवर्तन की भेद्यता को कम करने, लचीलेपन को मजबूत करने और अनुकूली क्षमता को बढ़ाने के लिए एक सामूहिक प्रतिबद्धता है।
 - इसे 2013 में अफ्रीकी वार्ताकारों के समूह द्वारा प्रस्तावित किया गया था और 2015 में स्थापित किया गया था।
 - इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के लिए अनुकूली क्षमता को बढ़ाना, लचीलापन मजबूत करना और भेद्यता को कम करना है।
- विकासशील देशों की चिंताएँ:** विकासशील देशों का मानना है कि GGA का मसौदा वित्तपोषण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण के लिए उनके विशिष्ट और दीर्घकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रह सकता है।

हॉर्नबिल महोत्सव



हाल ही में, नागालैंड के 'किसामा' में स्थित नागा विरासत गांव में हॉर्नबिल महोत्सव का 24वां संस्करण आरंभ हुआ।

हॉर्नबिल महोत्सव के बारे में:

- हॉर्नबिल महोत्सव एक 10-दिवसीय (1 से 10 दिसंबर तक) समारोह है जो हर साल दिसंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है।
- इसका आयोजन वर्ष 2000 से किया जा रहा है।
- इस महोत्सव को "त्योहारों का त्योहार" भी कहा जाता है।
- इसमें नृत्य, संगीत, पारंपरिक नाटक, कहानी कहने और खेलों का प्रदर्शन किया जाता है।
- इस वर्ष के संस्करण के लिए जर्मनी, कोलंबिया और अमेरिका साझेदार देश हैं और असम सहयोगी राज्य है।
- यह केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य पर्यटन और कला एवं संस्कृति विभागों द्वारा आयोजित सबसे बड़े स्वदेशी त्योहारों में से एक है।
- इस महोत्सव का नाम भारतीय हॉर्नबिल के नाम पर रखा गया है, एक पक्षी जो अक्सर नागालैंड के जंगलों में देखा जाता है और नागा लोककथाओं में महत्वपूर्ण है।

समाचारों में स्थान

नाइजीरिया

हाल ही में, नाइजीरिया के उत्तर-पश्चिम में, एक सैन्य ड्रोन ने गलती से एक धार्मिक सभा को निशाना बनाया, जिसमें कम से कम 85 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है।

नाइजीरिया (राजधानी: अबुजा)

अवस्थिति: नाइजीरिया गिनी की खाड़ी पर स्थित एक अफ्रीकी देश है। इसे आधिकारिक तौर पर नाइजीरिया संघीय गणराज्य के रूप में जाना जाता है।

सीमाएँ: नाइजीरिया पश्चिम में बेनिन गणराज्य, पूर्व में चाड और कैमरून और उत्तर में नाइजर के साथ अपनी भूमि सीमाएँ साझा करता है।

जातीय समूह: नाइजीरिया में तीन सबसे बड़े जातीय समूह उत्तर में हौसा, पश्चिम में योरुबा और पूर्व में इग्बो हैं।

संसाधन:

- नाइजीरिया कच्चे तेल का दुनिया का 12वां सबसे बड़ा उत्पादक है।
- नाइजीरिया में कोयला, बॉक्साइट, सोना, टिन, लौह अयस्क आदि जैसे अप्रयुक्त खनिज भंडार का एक विशाल भंडार है, जो इसे आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाते हैं।

भौतिक विशेषताएँ:

- नाइजर और बेन्यू नदी नाइजीरिया की प्रमुख नदियाँ हैं।
- आदमावा, माम्बिला, जोस और ओबुदु पठार सभी नाइजीरिया में हैं।
- नाइजर डेल्टा दुनिया के सबसे बड़े नदी डेल्टा में से एक है।



POINTS TO PONDER

- ❖ किस IPCC मूल्यांकन रिपोर्ट ने IPCC नोबेल पुरस्कार जीता है? - **IPCC आकलन रिपोर्ट-4**
- ❖ किस एशियाई राष्ट्र ने लिथियम और ग्रेफाइट सहित 20 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी शुरू की? - **भारत**
- ❖ कांगला पैलेस (Kangla Palace) किस राज्य का ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल है? - **मणिपुर**
- ❖ किन संगठनों ने संयुक्त रूप से इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2023 जारी की है? - **आईडीएफसी फाउंडेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (कर्नाटक) लिमिटेड (आईडीईसीके) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (एनआईएए)**
- ❖ भारत में कितने जिलों ने स्वयं को मैला ढोने से मुक्त जिला घोषित किया है? - **714**

Face to Face Centres

